न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

श्यामा बनाम गंगाराम

किस्म मुकदमा 225 RTA मु. नं० 42 वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23-6-21	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 138/2020 बउनवानी गंगाराम बनाम पेमाराम में दिनांक 02.12.2020 को ग्राम रामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 20,202/1,204,206,207,208,209,21,210,211,212,215, 216,217,218,22 लगायत 25,258,26,27,54,58,59 की रिकार्ड की यथास्थिति का अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया है। विचारण न्यायालय द्वारा इस भूमि के सन्दर्भ में अन्य किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नही किया है। विचारण न्यायालय द्वारा इस स्थगन आदेश में खातेदार काश्तकार को स्वंय की भूमि के किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग से प्रतिबंधित नही किया है। केवल मात्र राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश दिया है। चूकिं प्रस्तुत अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध है। मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण विचारण न्यायालय में होना है। फलतः प्रकरण इसी स्तर पर विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र संख्या 138/2020 का अन्तिम निस्तारण आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में आगामी एक माह में किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (राजवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	